अपील सूचना अधिकार संख्या 76/2017 अनवानी श्री जयप्रकाश हरवानी म0 न0 676 एम आई ए सैकेन्ड फेज बासनी जोधपुर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (पुर्नवास), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28–11–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जयप्रकाश हरवानी उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री जयप्रकाश हरवानी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.09.22017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1:– आरटीआई एक्ट 2005 के तहत बिन्दुवार सूचनांए प्राप्त करने हेतु पत्रांक जेएमडी/आरटीआई/ए/2014/78 दिनांक 11.04.2014 को आवेदन किया गया था उस आवेदन पर सम्पन्न हुई कार्यवाही की सूचनाओं के संदर्भ में।
2:– उक्त आवेदन के बिन्दु 1,2,3 पर दिये गये जवाब के संदर्भ में।
3:– अपील सं. 48/2014 में दिये गये निर्णय के संदर्भ में।
4:– आपके पत्रांक एसडीएम/पुर्न0/2014/112 दिनांक 03.09.2014 के संदर्भ में।
5:–सहायक लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) श्रीगंगानगर पत्रांक 251 दिनांक 25.04.2014 के संदर्भ में।
6:– सहायक लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) श्रीगंगानगर पत्रांक 259 दिनांक 29.04.2014 के संदर्भ में।
7:– राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में दि0 30.12.2015 के बैठक कार्यवाही के क्र.सं. 1 के बिन्दु (vi) में दर्ज संक्षिप्त विवरण के संदर्भ में।

उपरोक्त बिन्दुओ पर जो सूचनाएं चाहिये व इस प्रकार से है।

(1A) बिन्दु 1 के अनुसार मेरे द्वारा उक्त आवेदन तथा उससे पूर्व के कई आवेदन प्रकरण निस्तारण हेतु दिये गये थे। कृपया आवेदनो पर हुई दैनिक उन्नति बताएं अर्थात मेरे उक्त आवेदन किस अधिकारी के पास कब पहुचें। उस अधिकारी के पास यह कितने समय तक रहे और उतने समय तक आवेदनो का क्या किया गया। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचनाएं दें।

(1B) नियमों के अनुसार मेरे आवेदनो पर कितने कार्य दिवसों में कार्यवाही पूर्ण होनी चाहिए। जबकि प्रकरण 1969 से लम्बित है।

(1C) मेरे आवेदनो पर काफी समय व्यतीत हो चुका है। कृपया उन अधिकारियों के नाम व पद बताएं जिनसे यह आशा की जाती है कि मेरे आवेदनो पर कार्यवाही करते परन्तु उन्होने कार्यवाही नही की। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचनांए दे।

(1E) यह कार्यवाही कब तक की जाएगी। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचनाएं दे

(1F) मेरे आवेदनो पर कार्यवाही सम्पन्न नही हाने पर कुल कितने स्मरण पत्र भेजे गये थे। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचनाए दे।

बिन्दु (2) में

(i) अन्य जिले में आरक्षित भूमि या निष्क्रान्त कृषि भूमि को आंवटन करने का अधिकार जिला कलक्टर के पास है अथवा नही मय प्रमाण जानकारी दे।

(ii) उक्त बिन्दु के अनुसार जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के पास अन्य जिले में भूमि आंवटन करने का अधिकार है अथवा नही मय प्रमाण सूचनांए दें।

(iii) दोहरे आंवटन वाली कस्टोडियन भूमि के प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा अन्य जिले में आरक्षित निष्क्रान्त कृषि भूमि को जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को आंवटन करने का अधिकार है अथवा नही मय प्रमाण सूचनाए दें।

उपरोक्त के सन्दर्भ में आपके द्वारा अपील संख्या 48/2014 में उक्त बिन्दुओं को प्रश्नात्मक बताकर फैसला किया गया है। यह फैसला आरटीआई एक्ट के तहत किया गया है। अतः आरटीआई एक्ट के तहत यह जानकारी दे कि उक्त बिन्दुओ पर जानकारी नही देने के कारण मय प्रमाण बिन्दुवार दें। आपके द्वारा उपरोक्त बिन्दुओ को प्रश्नात्मक बताया गया है जबकि आपके द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र मोहनगढ़ जिला जैसलमेर में दिनांक 17.08.1993 को कस्टोडियन भूमि का आवंटन किया है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

बिन्दु –3 में

आपने प्रार्थी के आवेदन पर बिन्दु 1, 2, 3 में आरटीआई एक्ट के तहत यह जानकारी दी है कि यह प्रश्नात्मक है। जबकि अपील सं. 48/2014 में भी इसे प्रश्नात्मक बताकर फैसला कर दिया है। आपके पत्रांक 112 दि0 03.09.2014 के अनुसार उपनिवेशन मोहनगढ जिला जैसलमेर में कस्टोडियन भूमि का आंवटन किया हैं। अतः आरटीआई एक्ट के तहत गलत झूठी व भ्रामक सूचनाए देने के कारण किस–2 अधिकारी पर वाद दायर किया जायेगा मय प्रमाण बिन्दुवार सूचना दे।

(3B) उक्त अधिकारी के पास मेरा आवेदन पत्र कब पहुंचा। उस अधिकारी के पास यह कितने समय तक रहा और उतने समय तक आवेदन पर भ्रामक एंव झूठी कहां से प्राप्त की। मय प्रमाण दे।

(3C) नियमों के अनुसार प्रार्थी को सूचनांए सहायक लोक सूचना अधिकृत होने सम्बन्धी प्रमाणिक जानकारी दे।

(3D) मेरे आवेदन पर गलत भ्रामक झूठी सूचनाएं देने के कारण दोहरे आंवटन वाली कस्टोडियन भूमि वाले प्रकरण का निस्तारण नही हो पाया। उस अधिकारी के विरूद्ध अपना कार्य नही करने आरटीआई एक्ट के तहत गलत झूठी व भ्रामक सूचनाएं देने एवं जनता का शोषण करने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचनाएं दे।

(3E) अब मुझे कब तक अपने आवेदनों पर सत्य व सही जानकारी मिल जायेगी।

बिन्दु–4 में

आपने पत्रांक एसडीएम/पुर्न0/2014/112 दिनांक 03.09.2014 के द्वारा अवगत कराया है कि उपनिवेशन मोहनगढ जिला जैसलमेर में दिनांक 17.08.1993 को कस्टोडियन भूमि का आंवटन किया है जबकि पत्रांक 39 दिनांक 10.02.2012 में अवगत कराया है कि प्रभारी अधिकारी (पुर्न0)/जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को अन्य जिले में भूमि आंवटन करने का अधिकार नही होने के कारण राज्य सरकार से मार्ग दर्शन मांगा गया है। इसी प्रकार आपके द्वारा सरकार को कई पत्र भेजकर मार्ग दर्शन मांगा है जो प्राप्त नही हुआ। आपके पास अधिकार नही होने पर किन नियमों के तहत उक्त आंवटन किया गया मय प्रमाण सूचना दे।

(4B)प्रार्थी को अवगत करवाना कि अन्य जिले में आंवटन का अधिकार नही है परन्तु आप उक्त बिन्दु के अनुसार आंवटन कर रहे थें। यह प्रार्थी का शोषण करने की स्पष्ट इच्छा है। अतः प्रार्थी का शोषण करने की स्पष्ट इच्छा है। अतः प्रार्थी का शोषण करने के कारण उचित कार्य की जाएगी। मय प्रमाण सूचना दे।

बिन्दु 5–प्रार्थीया के आवेदन पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचनाओं को प्रश्नात्मक बताकर उसका निस्तारण किया है जबकि बिन्दु 1 से 20 तक की सूचनाएं प्रश्नात्मक नही है। अतः उक्त अधिकारी पर शोषण करने के कारण क्या कार्यवाही की जाएगी। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचनाएं दे।

बिन्दु 7–के अनुसार राजस्व मत्री की अध्यक्षता में दिनांक 30.12.2015 के बैठक कार्यवाही के क्र.सं0 1 के बिन्दु (iv) में दर्ज संक्षिप्त विवरण में लिखा है कि जिला जैसलमेर की तहसील मोहनगढ में कस्टोडियन आंवटियों के लिए भूमि आरक्षित की गई थी। जिसके आंवटन के अधिकार जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को थे। दिनांक 06.09.2005 को एक्ट रिपिल होने की स्थिति में उक्त भूमि के आंवटन के अधिकार जिला कलक्टर जैसलमेर मे निहित हो गये। इस तथ्य के आधार पर यह सूचना दे कि प्रार्थीया श्रीमति ठाकी बाई बेवा माधवदास का प्रकरण 1969 से लम्बित होने के कारण उक्त नियम के तहत निस्तारण नही करने कारण की प्रमाणिक सूचना दे।

7बी–उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीया का शोषण किया गया है। अतः उक्त अधिकारी पर शोषण करने के कारण क्या कार्यवाही की जायेगी। मय प्रमाण सूचना दे।

7सी–उक्त प्रकरण का निस्तारण रिश्वत नही मिलने के कारण नही किया गया मय प्रमाण सूचना दे।

7डी– मेरे द्वारा उक्त आवेदन प्रकरण निस्तारण हेतु 1969 से लगातार किये गये थे। कृपया मेरे आवेदनो पर हुई दैनिक उन्नति दिनांक 05.09.2005 तक की बताएं अर्थात मेरे उक्त आवेदन किस अधिकारी के पास कब पहुंचे। उस अधिकारी के पास यह कितने समय तक रहे और उतने समय तक आवेदनों का क्या किया। मय प्रमाण सूचना दे।

7ई– नियमों के अनुसार मेरे आवेदनो पर कितने कार्य दिवसों में कार्यवाही पूर्ण होनी चाहियें। जबकि प्रकरण 1969 से लम्बित है। बिन्दु 7 पर मय प्रमाण सूचना दें।

सा/–
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

7एफ—मेरे आवेदनों पर काफी समय व्यतीत हो चुका है। कृपया उन अधिकारियों के नाम व पद बताएं जिनसे यह आशा की जाती है कि वे मेरे आवेदनों पर कार्यवाही करते परन्तु उन्होने कार्यवाही नही की मय प्रमाण बिन्दुवार सूचना दे।

7जी—उन अधिकारियों के विरूद्ध अपना कार्य न करने एवं जनता का शोषण के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचना दे।

7एच—यह कार्यवाही कब तक की जायेगी। मय प्रमाण सूचना दे।

चाही गई सूचनाएं अत्यन्त सुगम, सरल ,सुलभ व आसानी से उपलब्ध है। अत—सभी सूचनांए बिन्दुवार मय प्रमाण दे।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसे सहायक लोक सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक 2782 दिनांक 27.09.17 द्वारा जो सूचनांए उपलब्ध करवाई गई है वह प्रश्नात्मक व अन्य कारण बताकर निस्तारण किया गया है जबकि उसके द्वारा चाही गई सूचना अत्यन्त सरल व सुलभ सूचनांए है। उसका आवेदन पत्र गलत रूप से खारिज किया गया है। इसलिए उसके द्वारा चाही गई सूचनांए उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 3003 दिनांक 02.11.17 प्रस्तुत किया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 2782 दिनांक 27.09.2017 से पंजिकृत डाक द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है जो निम्नानुसार उपलब्ध करवाई गई है:—

बिन्दु सं.	प्रश्न	उत्तर
(1A)	बिन्दु 1 के अनुसार मेरे द्वारा उक्त आवेदन तथा उससे पूर्व के कई आवेदन प्रकरण निस्तारण हेतु दिये गये थे। कृपया आवेदनो पर हुई दैनिक उन्नति बताएं अर्थात मेरे उक्त आवेदन किस अधिकारी के पास कब पहुचें। उस अधिकारी का के पास यह कितने समय तक रहे और उतने समय तक आवेदनो का क्या किया गया। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचनाएं दें।	सूचना का अधिकार नियम में नई सूचना तैयार कर देना, सूचना सर्जन करना, खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर सूचना बनाकर दिया जाना कार्य क्षेत्र से बाहर है।
(1B)	नियमों के अनुसार मेरे आवेदनो पर कितने कार्य दिवसों में कार्यवाही पूर्ण होनी चाहिए। जबकि प्रकरण 1969 से लम्बित है।	सूचना का अधिकार नियम में नई सूचना तैयार कर देना, सूचना सर्जन करना, खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर सूचना बनाकर दिया जाना कार्य क्षेत्र से बाहर है।
(1C)	मेरे आवेदनो पर काफी समय व्यतीत हो चुका है। कृपया उन अधिकारियों के नाम व पद बताएं जिनसे यह आशा की जाती है कि मेरे आवेदनो पर कार्यवाही करते परन्तु उन्होने कार्यवाही नही की। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचनांए दे।	सूचना का अधिकार नियम में नई सूचना तैयार कर देना, सूचना सर्जन करना, खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर सूचना बनाकर दिया जाना कार्य क्षेत्र से बाहर है।
(1E)	यह कार्यवाही कब तक की जाएगी। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचनाएं दे	सूचना का अधिकार अधिनियम में उपलब्ध सूचना ही दी जा सकती है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

(1F)	मेरे आवेदनो पर कार्यवाही सम्पन्न नही हाने पर कुल कितने स्मरण पत्र भेजे गये थे। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचनाए दे।	सूचना का अधिकार नियम में नई सूचना तैयार कर देना, सूचना सर्जन करना, खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर सूचना बनाकर दिया जाना कार्य क्षेत्र से बाहर है।

बिन्दु (2) में

(i)	अन्य जिले में आरक्षित भूमि या निष्क्रान्त कृषि भूमि को आंवटन करने का अधिकार जिला कलक्टर के पास है अथवा नही मय प्रमाण जानकारी दे।	निष्क्रान्त कृषि भूमि जिला जैसलमेर में उपलब्ध है जिसके आंवटन के अधिकार जिला कलक्टर जैसलमेर को है। बैठक कार्यवाही की प्रति 11 पृष्ठ रूपये 2/–प्रति पृष्ठ की दर से जमा करवा कर प्राप्त कर सकते है।
(ii)	उक्त बिन्दु के अनुसार जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के पास अन्य जिले में भूमि आंवटन करने का अधिकारी है अथवा नही मय प्रमाण सूचनाए है।	निष्क्रान्त कृषि भूमि जिला जैसलमेर में उपलब्ध है जिसके आंवटन के अधिकार जिला कलक्टर जैसलमेर को है। बैठक कार्यवाही की प्रति 11 पृष्ठ रूपये 2/–प्रति पृष्ठ की दर से जमा करवा कर प्राप्त कर सकते है।
(iii)	दोहरे आंवटन वाली कस्टोडियन भूमि के प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा अन्य जिले में आरक्षित निष्क्रान्त कृषि भूमि को जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को आंवटन करने का अधिकार है अथवा नही मय प्रमाण सूचनाए दें।	निष्क्रान्त कृषि भूमि जिला जैसलमेर में उपलब्ध है जिसके आंवटन के अधिकार जिला कलक्टर जैसलमेर को है। बैठक कार्यवाही की प्रति 11 पृष्ठ रूपये 2/–प्रति पृष्ठ की दर से जमा करवा कर प्राप्त कर सकते है।

बिन्दु –3 में

(3A)	आपने प्रार्थी के आवेदन पर बिन्दु 1, 2, 3 में आरटीआई एक्ट के तहत यह जानकारी दी है कि यह प्रश्नात्मक है। जबकि अपदलस सं. 48/2014 में भी इसे प्रश्नात्मक बताकर फैसला कर दिया है। आपके पत्रांक 112 दि0 03. 09.2014 के अनुसार उपनिवेशन मोहनगढ जिला जैसलमेर में कस्टोडियन भूमि का आंवटन किया हैं। अतः आरटीआई एक्ट के तहत गलत झूठी व भ्रामक सूचनाए देने के कारण किस–2 अधिकारी पर वाद दायर किया जायेगा मय प्रमाण बिन्दुवार सूचना दे।	जहां तक आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई सामग्री, अभिलेख, ज्ञापन, ईमेल, मत सलाह नमूने मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूंकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधर पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है।
(3B)	उक्त अधिकारी के पास मेरा आवेदन पत्र कब पहुंचा। उस अधिकारी के पास यह कितने समय तक रहा और उतने समय तक आवेदन पर भ्रामक एंव झूठी कहां से प्राप्त की। मय प्रमाण दे।	
(3C)	नियमों के अनुसार प्रार्थी को सूचनांए सहायक लोक सूचना अधिकृत होने सम्बन्धी प्रमाणिक जानकारी दे।	क्या सूचना चाही गई है, स्पष्ट नही है।
(3D)	मेरे आवेदन पर गलत भ्रामक झूठी सूचनाएं देने के कारण दोहरे आंवटन वाली कस्टोडियन भूमि वाले प्रकरण	जहां तक आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की

शा०/
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

	का निस्तारन नही हो पाया। उस अधिकारी के विरूद्ध अपना कार्य नही करने आरटीआई एक्ट के तहत गलत झूठी व भ्रामक सूचनाएं देने एवं जनता का शोषण करने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचनाएं दे।	धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई सामग्री, अभिलेख, ज्ञापन, ईमेल, मत सलाह नमूने मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूंकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधर पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है।
(3E)	अब मुझे कब तक अपने आवेदनों पर सत्य व सही जानकारी मिल जायेगी।	सूचना का अधिकार अधिनियम में उपलब्ध सूचना ही दी जा सकती है।

बिन्दु—4 में

(4)	आपने पत्रांक एसडीएम/पुर्न0/2014/112 दिनांक 03.09.2014 के द्वारा अवगत कराया है कि अनुसार उपनिवेशन मोहनगढ जिला जैसलमेर में दिनांक 17.08.1993 को कस्टोडियन भूमि का आंवटन किया है जबकि पत्रांक 39 दिनांक 10.02.2012 में अवगत कराया है कि प्रभारी अधिकारी (पुर्न0)/जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को अन्य जिले में भूमि आंवटन करने का अधिकार नही होने के कारण राज्य सरकार से मार्ग दर्शन मांगा गया है। इसी प्रकार आपके द्वारा सरकार को कई पत्र भेजकर मार्ग दर्शन मांगा है जो प्राप्त नही हुआ। आपके पास अधिकार नही होने पर किन नियमों के तहत उक्त आंवटन किया गया मय प्रमाण सूचना दे।	आंवटन आदेश की चित्र प्रति संलग्न है।
(4B)	प्रार्थी को अवगत करवाना है कि अन्य जिले में आवंटन का अधिकार नही है परन्तु आप उक्त बिन्दु के अनुसार आंवटन कर रहे थें। यह प्रार्थी का शोषण करने की स्पष्ट इच्छा है। अतः प्रार्थी का शोषण करने की स्पष्ट इच्छा है। अतः प्रार्थी का शोषण करने के कारण उचित कार्य की जाएगी। मय प्रमाण सूचना दे।	दिनांक 06.09.2005 को केन्द्र सरकार द्वारा विस्थापित व्यक्ति दावा एवं अन्य अधिनियम निरसन अधिनियम 2005 को अधिसूचित कर निरसित कर अधिसूचित कर दिया गया था।
बिन्दु 5	प्रार्थिया के आवेदन पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचनाओं को प्रश्नात्मक बताकर उसका निस्तारण किया है जबकि बिन्दु 1 से 20 तक की सूचनाएं प्रश्नात्मक नही है। अतः उक्त अधिकारी पर शोषण करने के कारण क्या कार्यवाही की जाएगी। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचनाएं दे।	नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

बिन्दु 7	बिन्दु संख्या 7 के अनुसार राजस्व मत्री की अध्यक्षता में दिनांक 30.12. 2015 के बैठक कार्यवाही के क्र.सं0 1 के बिन्दु (iv) में दर्ज संक्षिप्त विवरण में लिखा है कि जिला जैसलमेर की तहसीलद मोहनगढ में कस्टोडियन आंवटियों के लिए भूमि आरक्षित की गई थी। जिसके आंवटन के अधिकार की गई थी। जिसके आंवटन के अधिकार जिला कलक्टर गंगानगर को थे। दिनांक 06.09.2005 को एक्ट रिपिल होने की स्थिति में उक्त भूमि के आंवटन के अधिकार जिला कलक्टर जैसलमेर मे निहित हो गये। इस तथ्य के आधार पर यह सूचना दे कि प्रार्थीया श्रीमति ठाकी बाई बेवा माधवदास का प्रकरण 1969 से लम्बित होने के कारण उक्त नियम के तहत निस्तारण नही करने कारण की प्रमाणिक सूचना दे।	नियमानुसार कार्यवाही की गई है।
(7B)	उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थिया का शोषण किया गया है। अतः उक्त अधिकारी पर शोषण करने के कारण क्या कार्यवाही की जायेगी। मय प्रमाण सूचना दे।	नियमानुसार कार्यवाही की गई है।
(7C)	उक्त प्रकरण का निस्तारण रिश्वत नही मिलने के कारण नही किया गया मय प्रमाण सूचना दे।	नियमानुसार कार्यवाही की गई है।
(7D)	मेरे द्वारा उक्त आवेदन प्रकरण निस्तारण हेतु 1969 से लगातार किये गये थें। कृपया मेरे आवेदनों पर हुई दैनिक उन्नति दि0 05.09.2005 तक की बताए अर्थात मेरे उक्त आवेदन किस अधिकारी के पास कब पहुंचे। उस अधिकारी के पास यह कितने समय तक रहे और उतने समय तक आवेदनों का क्या किया मय प्रमाण सूचना दें।	जहां तक आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई सामग्री, अभिलेख, ज्ञापन, ईमेल, मत सलाह नमूने मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूंकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधर पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है।
(7E)	नियमो के अनुसार मेरे आवेदनो पर कितने कार्य दिवसों मे कार्यवाही पूर्ण होनी चाहिये। जबकि प्रकरण 1969 से लम्बित है। बिन्दु 7 पर मय प्रमाण सूचना दे।	
(7F)	मेरे आवेदनों पर काफी समय व्यतीत हो चुका हे। कृपया उन अधिकारियों के नाम व पद बताएं जिनसे यह आशा की जाती है कि वे मेरे ओवदनो पर कार्यवाही करते परन्तु उन्होने कार्यवाही नही की। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचनाएं दे।	सभी अधिकारीगण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

शा0/
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

(7G)	उन अधिकारियों के विरूद्ध अपनो कार्य न करने एवं जनता का शोषण के लिए क्या कार्यवाही जायेगी। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचनाएं दे।	जहां तक आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई सामग्री, अभिलेख, ज्ञापन, ईमेल, मत सलाह नमूने मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूंकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधर पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है।
(7H)	यह कार्यवाही कब तक की जायेगी। मय प्रमाण सूचना दे।	सूचना का अधिकार अधिनियम में उपलब्ध सूचना ही दी जा सकती है।

यदि आप प्रकरण से सम्बन्धित किसी अभिलेख का अवलोकन करना चाहे तो कार्यालय दिवस में कर सकते है और चिन्हित रिकार्ड की प्रतिलिपी नियमानुसार प्राप्त कर सकते है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगागर द्वारा अपीलार्थी को दिये गये उक्त उत्तर अनुसार बिन्दु संख्या 4 व (4बी) की सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। बिन्दु संख्या 2(i)(ii)(iii) की सूचनांओ के लिए 2 रूपये प्रति पृष्ट की दर से राशि जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी को लिखा गया है अपीलार्थी को 2 रूपये प्रति पृष्ट की दर से राशि जमा करवाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करनी चाहिए एवं अन्य सूचनांओ के लिए रिकार्ड का अवलोकन कर उपलब्ध रिकार्ड में से सूचना प्राप्त करने के लिए लिखा गया है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई शेष चाही गई सूचनांए निश्चित नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। सूचना एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है जो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(9) के तहत सूचना उपलब्ध करवाया जाना वर्जित है। इस प्रकार सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 27.09.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपीलार्थी की अपदलस खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, को आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड का निरीक्षण कर उपलब्ध रिकार्ड में से कोई सूचना प्राप्त करना चाहे तो वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर